18

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः XVIII(II)/2013–2(01)/2010
देहरादूनः दिनांकः २१ जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

जनपद उधमसिंह नगर में पुनर्वास योजना के अधीन विस्थापित होकर आये परिवारों को आवंटित भूमि पर काबिज कब्जा धारकों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने विषयक प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त इस विषय के विधिक, वित्तीय, व्यावहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करके अपनी संस्तुतियां दिये जाने हेतु मंत्रिमण्डल की उप समिति का निम्नवत गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1.	मा0 राजस्व मंत्री	–	अध्यक्ष
2.	मा0 कृषि मंत्री	–	सदस्य
3.	मा0 पंचायती राज मंत्री	–	सदस्य
4.	मा0 समाज कल्याण मंत्री	–	सदस्य
5.	सचिव, राजस्व विभाग	–	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीनों को जारी किये गये पट्टों के विनियमितीकरण तथा राज्य में वर्ग 3 एवं 4 के भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में उत्पन्न हुई विसंगतियों के निराकरण तथा इन विषयों के विधिक, वित्तीय, व्यावहारिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार करके अपनी संस्तुतियां शीघ्रातिशीघ्र मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0 2381/समदिनांकित/2013
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भास्करानन्द)
सचिव।

u.o